सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी —सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2023/46 दर्ज तिथिः—21.07.2023

1. धनी पत्नी स्व. रामलाल जाति मेघवाल निवासिनी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू
2. सुनिता पुत्री स्व. रामलाल जाति मेघवाल निवासिनी लोहसला छोटा तहसील व जिला चूरू
3. मेनिका पुत्री स्व. रामलासल जाति मेघवाल निवासिनी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू
4. अमित पुत्र स्व. रामलाल जाति मेघवाल उम्र 13 नाबालिग निवासी लोहसना टोटा तहसील व जिला चूरू जरिए कुदरती वलिया अपनी माता धनी पत्नी स्व. रामलाल जाति मेघवाल निवासिनी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू
5. राजुराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
2. गुगन पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
3. सतपाल पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
4. सुमेर पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
5. भंवरी पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
6. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
7. बिरमा पत्नी, ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू
8. रूपेन्द्र पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तसील चूरू
9. सुरेन्द्र पुत्र ताराचन्द उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता बिरमा पत्नी स्व. ताराचन्द जाति मेघवाल निवासिनी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसील चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— सुरेन्द्र डुडी
प्रत्यर्थीः— अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested

र्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212
धियम अधिनियम—1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा प्रार्थीगण की ओर से समस्त तथ्यों एवं समस्त कथनों का उल्लेख करते हुए श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 व गौण प्रतिवादी संख्या 11 एक ही परिवार खानदान के व्यक्ति है जिनका वंशवृक्ष प्रार्थना–पत्र में संलग्न है। यह कि प्रार्थीगण के पूर्वज अप्रार्थीगण सं. 01 ता 9 एवं गौण प्रतिवादी सं. 11 के पूर्वज खेताराम पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील चूरू की खातेदारी कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की वादीगण की पुश्तैनी दादालाई कृषि भूमियां खं. नं. 69, पुराना ख. नं. 100 तादादी 2.4787 हैक्टेयर तथा वर्तमान ख. नं. 182, 183, 236, 250 तादादी क्रमशः 1.2899 हैक्टेयर, 1.3658 हैक्टेयर, 2.5040 हैक्टेयर, 2.4029 हैक्टेयर रोही मौजा लोअसना छोटा तसहील चूरू जिला चूरू में पूर्वज खेताराम के हक हिस्सा की भूमि उसके जायज वारिसान रहे दानो पुत्रो सुरजाराम व नानुराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई– सुरजाराम व नानुराम के स्वर्गवार के बाद उनके हक हिस्से की भूमि सुरजाराम व नानूराम के जायज वारिसान प्रार्थीगण, गौण प्रतिवादी सं. 11 व अप्रार्थीग सं. 1 ता 09 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई मगर पुराना ख.नं. 100 नया ख.नं. 69 तादादी 2. 4787 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना छोटा जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 के पूर्व खेताराम की खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि रही खेता राम के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 के पूर्वज एक पुत्र नानुराम अकेले के नाम से दुसरे पुत्र सुरजाराम के जा नाम छिपा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई जो प्रारम्भ से ही शुन्य, निष्प्रभावी विधि विरूद्ध है– यही वादगत कृषि भूमि है जो दुरूस्ती काबिल है।यह कि वादगत भूमि पुराना खसरा नम्बर 69 तादादी 2.4787 हैक्टेयर राही मौजा लोहसना छोटा तसहील चूरू मे प्रार्थीगण, गौण प्रतिवादी संख्या 11 व अप्रार्थीगण सं. 01 ता 9 खेता पुत्र रामू के जायज वारिसान होने से तथा प्रार्थीगण, गौण प्रतिवादी सं. 11 पूर्वज खेता पुत्र रामू के एक पुत्र सुरजाराम तथा अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 पूर्वज खेता पुत्र रामु के दूसरे पुत्र नानुराम के वारिसान होने से 1/2 हिस्सा के बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। यह कि नानुराम व सुरजारम ने अपने जीवनकाल में ही उपर वर्णित कृषि भूमियों का बाहमी बंटवारा कर लिया था व मुताबिक बंटवारा के अपने अपने हक स्सिा की भूमि पर काबिज होकर बतौर खातेदार काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 बतौर खातेदार काबिज काश्तकार हो गये मौका पर आज पक्षकारान के बीच सीवें कायम है। यह कि वादगत भूमि खसरा संख्या 69 तादादी 2.4787 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना छोटा तहसील चूरू में अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 अपने अकेले के नाम गलत व विधि विरूद्ध रूप से राजस्व [illegible] दर्ज नाम के आधार पर प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त [illegible] रहे है प्रार्थीगण के द्वारा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested

गई काश्त को उलटने की फिराक में है ऐसा न कर पान की सूरत में वादगत कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित नाम के आधार पर रहन बैय दान वसीयत करने की धमकिया दे रहे है इस हेतु ग्राहक भी तलाश रहे है इस भूमि पर के.सी.सी. बनवाने की चेष्टा भी कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के वर्णित करवाये कि अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि को बैय रहन दान वसीयत नहीं करें किसी भी तरीके से हस्तान्तरण नही करें, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें, न जबरन प्रवेश करें व किसी अन्य से करवाये ऐसा कोई कार्य अथवा उपकार्य भी नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हक हकोको पर कोई विपरीत असर पड़ता हो यद कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 69 राही मोज लोहसना छोटा तहसील चूय प्रार्थीगण की पुश्तैनी दादालाई सम्पति होने से वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा होने से तथा अपने पूर्वज स्व. सुरजाराम के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त व स्वामित्व में होने के कारण से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बखुबी साबित है अप्रार्थीगण गतल व विधि विरूद्व रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम के आधार पर वादगत भूमि को अगर खुर्द—बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को कभी पूरा न होने वाला नुकशान हो जायेगा तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी ऐसी परिस्थितियों में सुविाा के सन्तुलन का व अपूर्तीय क्षति का सिद्वान्त भी बखुबी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्राथना—पत्र स्वीकार फरमाया जा कर ताः फैसला दावा अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि ख. नं. 69 तादादी 2.4787 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू को किसी भ जरिये से रहन, दान, बैय वसीयत आदि न करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी न करें न जबरन प्रवेश करे न प्रार्थीगण के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि पर की गई काश्त को उलटे ऐसा काई कार्य अथवा उपकार्य भी नहीं करें जिससे प्रार्थीगण को हक हकुको पर कोई वपिरीत असर पड़ता हो अप्रार्थीगण मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे।

2. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया।

3. प्रार्थीगण द्वारा यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या ''69'', रकबा ''2.4787 हैक्टेयर'', रोही मौजा ''लोहसना छोटा'', तहसील व जिला चूरू, उनके दादा ''खेता राम पुत्र रामू राम'' की पुश्तैनी एवं पैतृक भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि का अधिकार दो भाइयों ''नानूराम'' एवं ''सुरजाराम'' को प्राप्त हुआ, जिनके उत्तराधिकारी आज प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के रूप में प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर वर्षों से बंटवारे के अनुसार कब्जा—काश्त करते चले आ रहे हैं, किंतु ''राजस्व रिकॉर्ड में केवल नानूराम पक्ष (अप्रार्थी [illegible]) नाम'' प्रविष्ट है, जो ''एकतरफा, विधिविरुद्ध एवं सुधार योग्य'' है। प्रार्थीगण ने यह भी आरोप लगाया कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि को ''बिक्री, दान, वसीयत [illegible] करने की चेष्टा कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested

हैं तथा ''प्रार्थीगण की काश्त उलटने एवं कब्जे से बेदखल करने'' के प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनके हक व हकूकों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

1. ''प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case):'' वादग्रस्त भूमि पर ''प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त लंबे समय से चला आ रहा है'', जो पैतृक स्वरूप की भूमि होने के कारण मजबूत दावा प्रस्तुत करता है। भूमि का बाहमी बंटवारा भी मौखिक रूप से पूर्वजों के जीवनकाल में हुआ, जिसका अनुपालन अभी तक हो रहा है।
2. ''अपूर्णीय क्षति (Irreparable Loss): ''यदि वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित कर दियजाता है या प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल किया जाता है, प्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति हो सकती है।
3. ''सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): भूमि की यथास्थिति बनाए रखने में ही दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सकते हैं। यदि यथास्थिति न बनाई गई तो प्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा हो सकती है।

उक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है, जिससे वादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति में कोई विधि–विरुद्ध परिवर्तन न हो सके।

आदेश

''उपरोक्त तथ्यों एवं बहस पर मनन के आधारा पर इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:'' ''अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction)'' जारी की जाती है कि वाद निर्णय होने तक ''अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09'' व कोई अन्य उनके माध्यम से वादग्रस्त कृषि भूमि ख.सं. ''69'', रकबा ''2.4787 हैक्टेयर'', मौजा ''लोहसना छोटा'', तहसील व जिला ''चूरू'' को ''रहन, विक्रय, दान, वसीयत अथवा किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं करें। प्रार्थीगण की ''कृषि कार्य, उपयोग या काश्त'' में किसी प्रकार की ''बाधा या दखलअंदाजी नहीं करेंगे।'' ''राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति'' यथावत रखी जाए। ता–फैसला वाद। कोई भी ऐसा कार्य अथवा अपकार्य नहीं किया जाए, जिससे प्रार्थीगण के ''हक एवं स्वामित्व अधिकारों'' पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू)चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested